an>

Title: Need to provide Income tax exemptions to cooperative banks.

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के तहत वर्ष 2005-06 तक सहकारी साख संस्थाओं को आयकर से मुक्त रखा गया था । परंतु वर्ष 2006-07 में सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष मानकर इनकी आय को आयकर के दायरे में ले लिया गया। सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं । ग्रामीण सहकारी बैंक अपने सदस्यों की मदद से ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं एवं इनके द्वारा अर्जित लाभ भी सदस्यों में विभाजित होता है । अतः आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) को पूर्ववत लागू किए जाने का निवेदन है । मेरा अनुरोध है कि सभी प्रकार के सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत वर्ष 2005-06 तक आयकर में प्राप्त छूट को पूर्ववत बहाल किया जावें ताकि साख ढाँचे को आयकर के रूप में हो रहे नुकसान से बचाया जा सके ।